5. प्रतिवादी पक्ष के पर्याप्त सम्मन एवं पर्याप्त वाद की प्रति संलग्न की हैं।
6. पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया है ।
7. वाद पत्र के साथ नवीनतम/आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है ।

रिपोर्ट श्रीमान् की सेवामें पेश है ।

री
रीडर

10-10-17 वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जावे । पत्रावली वाले जवाब दिनांक 17-10-17 का पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

17-X-17 PO दिनांक 21-11-17 को पेश हो

21/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./प्रतिवादी गैरहाजिर सूचना अनु- रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 20/12/17 को पेश हो

20/12/17 - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में वादी का शपथपत्र पेश किया जो शामिल किया गया। वास्ते बहस एवं आदेश दिनांक 10/1/18 को पेश हो।

10/1/18. - पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप./वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर इस वाद में अंकित खसरों की भी वाद सं. 165/17 में जारी आदेश में अंकित कर दिया गया है इसलिए अब इस पत्रावली में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अत: पत्रावली फैसला शुदा होकर जमा दफ्तर में जावे।